तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोहुक्मसे की तामीलमेंजारीहुए
	मेरा T.9 -18 [illegible]	
28/11/18	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकैन उप/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पुनःसुनवाई दि० 9/1/19 को पेश हो।	
	8/1/19 वकील फरीकैन उप. [illegible] जवाब अप्रार्थी सं. 4 दि० 6/2/19 को पेश हो।	
	6/2/19 वकील फरीकैन उप. अप्रार्थी सं. 4 का जवाब पेश किया गया है। बहस अन्य पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 20/2/19 को पेश हो।	
	20/2/19 पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं काउन्टर सी. आई. अप्रार्थीगण दोनों स्वीकार किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर रहे।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
33/17	अस्थायी निषेधाज्ञा	13.09.17	20.02.19

1. भूरा
2. रामधन
3. जनवेद पि0 बद्री
4. बाड़ा पत्नि बद्री आयु 75 साल
5. मुनेश
6. मुकेश
7. जयपाल पि0 किशोर जातिगन मीना निवासीयान सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकेश आयु 53 साल
2. नेमीचन्द आयु 47 साल
3. प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश आयु 44 साल

पिस0 रामस्वरूप जातिगण मीना निवासीयान सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

4. तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम कुड़गांव तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 52, 53, 54, 55, 56, 57 किता 6 कुल रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। उक्त आराजीयात टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिन व उससे पहले व उसके बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के बुजूर्ग जैकिशन पुत्र मोती जाति मीना निवासी सलेमपुर के खातेदारी व कब्जे की थी, मुताबिक सजरा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 खातेदार जैकिशन के वारिश है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता चतुर, चालाक व समझदार था उन्होने हमारे पितागण से छिपाकर जैनारायण का पिसर मुतवन्ना बनकर अपने नाम जमीन विवादित मे से 1/2 के हिस्से की खातेदारी सैटिलेमेंट विभाग से कराली जबकि कानूनन सैटिलमेंट विभाग को जमाबंदी मे इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नही है। जबकि हम प्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज चले आ रहे है।

टाराजी खसरा नं0 768, 769, 791, 825 किता चार कुल रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सलेमपुर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की शामलाती व कब्जे की है। जिसमे प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा है ये आराजीयात हमारी पुश्तैनी पूर्वज मोती के समय की है और मुताबिक सजरा हम मोती के वारिश है। टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिवस उसके उसके बाद व उसके पहले जैकिशन पुत्र मोती जमीन पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता चतुर, चालाक व समझदार व्यक्ति था उसने हम प्रार्थीगण के पिता से छिपाकर सैटिलमेंट विभाग

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

वालो से मिलकर गैर कानूनी तरीके से उक्त सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम कराली। सैटिलमेंट विभाग वालो को जमाबंदी मे इन्द्राज बदलने का कानूनन कोई अधिकार नही था। सैटिलमेंट विभाग वालों द्वारा किये गये इन्द्राज हम प्रार्थीगण के हकूको पर नल एण्ड वोईड एवं प्रभावहीन है, हम प्रार्थीगण आज भी सामलाती रूप से जमीन विवादित पर आज भी काश्त कर रहे है। दिनांक 06.06.2017 को हम प्रार्थीगण विवादित जमीन के अपने हिस्से की देखभाल करने के लिए खेतो पर गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को जमीन से बेदखल करने एवं जान से मारने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब मय काउन्टर टी. आई. पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य नही है बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अलग अलग निवास करते है और अलग अलग पिता की संताने है। प्रार्थीगण ने सजरा गलत पेश किया है। मोती के पुत्र जयनारायण को छिपाया है। मोती पुत्र नानगा के दो पुत्र जयकिशन व जयनारायण थे और जयकिशन के पैदाईशी पुत्र बद्री, रामस्वरूप व किशोर थे। जयकिशन ने अपना पैदाईशी पुत्र रामस्वरूप, जयनारायण को बचपन मे ही गोद दे दिया और रामस्वरूप को बचपन 8–10 वर्ष की अवस्था मे ही गोद ले लिया रामस्वरूप को पालन पोषण विवाह आदि जयनारायण ने ही सम्पन्न किये गये और रामस्वरूप, जयनारायण के साथ ही जयकिशन, बद्री व किशोर से अलग रहता रहा है। रामस्वरूप अपने जीवनकाल मे जयनारायण का दत्तक पुत्र रहकर कार्य करता रहा है। रामस्वरूप का जयनारायण का दत्तक पुत्र होना समस्त ग्राम वासियों की एवं प्रार्थीगण की जानकारी व ज्ञान मे रहा है। रामस्वरूप का स्वर्गवास हुये 40 वर्ष से अधिक अर्सा व्यतीत हो चुका है। रामस्वरूप का गोद पुत्र का संस्कार हुये करीब 70–75 साल का अर्सा हो चुका है। हम अप्रार्थीगण जयनारायण के दत्तक पुत्र रामस्वरूप की संताने है। विवाकदित आराजीयात कुड़गांव मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है प्रार्थीगण ने अपना 2/3 हिस्सा होना असत्य व निराधार दर्ज किया है। उक्त आराजीयात टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व जयकिशन व जयनारायण पिसरान मोतीलाल के खातेदारी व कब्जे काश्त की संयुक्त रही है तथा सैटिलमेंट सम्वत् 2015 मे जयकिशन पुत्र मोतीलाल रामस्वरूप दत्तक पुत्र जयनारायण की खातेदारी मे रही है। रामस्वरूप के हक मे खातेदारी इन्द्राज सही है विधिवत है सैटिलमेंट इन्द्राज सही है विधिवत है। जयकिशन व रामस्वरूप अपने जीवनकाल मे आराजीयात को अलग अलग काश्त करते रहे है और अलग अलग फसल लाभ ले रहे है। आराजी खसरा नं0 768, 768, 791, 825 स्थित ग्राम सलेमपुर हम अप्रार्थीगण के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिनके सैटिलमेंट सम्वत् 2015 मे खातेदारी इन्द्राज और पिता रामस्वरूप पिसर गुतवन्ना जयनारायण के हक मे रहे है जो सही है व विधिवत है। इस आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई खातेदारी काश्तकारी सम्बन्ध नही है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिवस इन आराजीयात के हमारे पिता रामस्वरूप व जयनारायण खातेदार काश्तकार रहे है और जयनारायण की मृत्य होने पर हमारे पिता रामस्वरूप के हक मे हुये सैटिलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी इन्द्राज सही व विधिवत तोर किये है जो वैध है व प्रभावशील है। रामस्वरूप की मृत्यु के बाद हमारे ह कमे नामान्तरकरण खातेदारी हुये जो सही है। सत्यता यह है कि आराजयात खसरा नं0 491, 707, 724, 774, 792, 837 एवं 1878 कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा स्थित ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की खातेदारी इन्द्राज बिला आधार अनाधिकार तौर पर अकेले जयकिशन पुत्र मोती ने सैटिलमेंट वालों से मिलकर अपने नाम सम्वत् 2015 मे दर्ज करा लिये है जबकि इन आराजीयात मे हम अप्रार्थीगण के पितामह जयनारायण व पिता रामस्वरूप व हमारा 1/2 खातेदारी अधिकार रहा है। हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से उक्त आराजीयात किता 7 कुल रकवा 24 बीघा के सम्बन्ध मे हमारे नाम खातेदारी इन्द्राज कराने को और इन आराजीयात का एवं प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 3 मे दर्ज आराजीयात का बंटवारा करने को उक्त दिवस 6.6.2017 दिवस कहा तब प्रार्थीगण द्वारा

Scanned by CamScanner

यह वाद व प्रार्थना पत्र असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है और प्रार्थीगण द्वारा बंटवारा कराने को इंकार किये जाने पर यह काउन्टर टी. आई. प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण ने काउन्टर टी. आई. का जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के जवाब व काउन्टर क्लेम जिस तरह अप्रार्थीगण की ओर से पेश किये है गलत है स्वीकार नही है। वादी का दावा सही तथ्यों पर सबूत दस्तावेजी आधार पर पेश किया है। मोती का जयनारायण पुत्र है। मोती पुत्र नानगा के जयकिशन व जयनारायण हो गलत दर्ज किया है मोती के जयनारायण नाम का कोई लड़का नही था। जयनारायण ने रामस्वरूप को बचपन मे 8–10 वर्ष की अवस्था मे गोद लिया हो, रामस्वरूप का पालन पोषण व विवाह जयनारायण किया हो गोद की रस्म हुई हो समस्त तथ्य काउन्टर क्लेम मे गलत दर्ज किये है। सम्बत् 2015 मे गलत रूप से सैटिलमेंट विभाग ने रामस्वरूप के साथ पिसर मुतवन्ना गलत दर्ज किया है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है। प्रार्थीगण की ओर से जमाबंदी सम्बत् 2012 की पेश की गइ है जिसमे जयकिशन की वाहिद खातेदारी दर्ज है सम्बत् 2012 मे ही टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ था सैटिलमेट विभाग को खाते की इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नही था। रामस्वरूप पिसर मुतवन्ना जयनारायण सैटिलमेंट विभाग ने गलत दर्ज किया है। खसरा नं0 769 ग्राम सलेमपुर मे मुझ प्रार्थी भूरा का पक्का मकान बना है जिसमे मै प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास कर रहा हूॅ। खसरा नं0 769 मे ही हम फरीकेन का सामलाती देवताओं का चबूतरा बना है समय समय पर हम प्रार्थीगण देवताओं की पूजा करते है। खसरा नं0 768 मे प्रार्थीगण के घूड़ा डले हुये है जो पुराने समय से डालते चले आ रहे है। हम प्रार्थीगण आराजीयात पर मुताबिक हिस्सा काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यता नही रहीं। खसरा नं0 491, 707, 727, 774, 792, 837, 1877 किता 7 कुल रकबा 24 बीघा ग्राम सलेमपुर से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व ताल्लुक नही है से जमीने जयकिशन के वाहिद खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। प्रार्थीगण के नाम जमाबंदी मे इन्द्राज सही किये है। अप्रार्थीगण कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं मोती पुत्र नानगा के केवल एक लड़का जयकिशन उर्फ जैकिशन ही था टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिन, उससे पहले एवं उसके बाद प्रार्थना पत्र मे दर्ज विवादित आराजीयात का वाहिद खातेदार काश्तकार जयकिशन ही था। काउन्टर क्लेम मे रामस्वरूप को जयनारायण का दत्तक पुत्र बताया है वह गलत है गोद की रस्त किस मिति तिथि तारीख सन् सम्बत् को हुई किस प्रकार रस्म हुई गोद बाबत् लिखा पढी हुई या नही काउन्टर क्लेम मे दर्ज नही है। कथित जयनारायण टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पश्चात् सम्बत् 2012 मे आराजीयात मुतनाजा ग्राम कुड़गावं व सलेमपुर कथित जयनारायण की खातेदारी मे रही हो ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण की ओर से पेश नही किया गया है। इस प्रकार रामस्वरूप को जयनारायण का दत्तक पुत्र माने जाने की सूरत मे दावे व दर0 मे दर्ज आराजीयात से कोई हकूक खातेदारी हक हकूक रामस्वरूप मे वेस्ट नही करते है। इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर टी आई खारिज किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम कुड़गांव सम्बत् 2012 मे जयकिशन पुत्र मोती दर्ज है तथा सम्बत् 2015 की खतौनी बन्दोबस्त मे जैकिशन पुत्र मोती व रामस्वरूप मुतवन्ना जैनारायण दर्ज है जिसके मिलान क्षैत्रफल मे साबिक खसरा नं0 42, 43, 44 एवं वर्तमान खसरा नं0 52, 53, 55, 57 अंकित है। ग्राम सलेमपुर की आराजी विवादित जिसके साबिक खसरा नं0 547, 572, 575, 576, 573, 593, 624/2 के वर्तमान खसरा नं0 768, 769, 791, 825 है जो कि खाता चारसाला मौजा सलेमपुर सम्बत् 1970, 1974 मे मोती वल्द नानोगा कौम मैना दर्ज है तथा सम्बत् 2015 की जमाबंदी मे खसरा नं0 768, 769 मे रामस्वरूप पुत्र जयनारायण दर्ज है। ग्राम सलेमपुर

Scanned by CamScanner

तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 491, 707, 724, 774, 792, 837, 1878 मे सम्वत् 2015 मे जयकिशन पुत्र मोती के नाम दर्ज है तथा सम्वत् 2073–76 मे बद्री व किशोर के वारिशान का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी विवादित उभय पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है किन्तु किसी जमाबंदी मे 1/2–1/2 हिस्से दर्ज है एवं किसी जमाबंदी मे 2/3 व 1/3 हिस्से दर्ज है इन सब बातो को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूती के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थीगण की काउन्टर टी. आई. दोनो आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। उभय पक्षकारान को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम कुड़गांव तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 52,53,54,55,56,57 किता 6 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 768,769,791,825 किता 4 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा तथा ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 491,707,724,774,792,837,1878 किता 7 रकबा 24 बीघा के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner